



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022024-251709
CG-DL-E-01022024-251709

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 2024/माघ 12, 1945

No. 377]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 2024/MAGHA 12, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024

का.आ. 401(अ).—केंद्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1490 (अ) तारीख 13 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"5. श्री अनिल सुब्रमण्यम

- निदेशक (संयुक्त सचिव, आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय)"

[फा. सं. सी.1-40015/4/2020-रसा.1-सीपीसी]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1490 (अ), द्वारा तारीख 13 सितंबर, 2006 को प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5019 (अ), द्वारा तारीख 22 नवंबर, 2023 को अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2024

S.O. 401(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers number S.O. 1490(E), dated the 13th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), namely:-

In the said notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

"5. Shri Anil Subramaniam

- Director (Joint Secretary, Internal Security, Ministry of Home Affairs)".

[F. No. C.I-40015/4/2020-CHEM.I-CPC]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1490 (E), dated the 13th September, 2006 and was last amended *vide* notification number S.O. 5019 (E), dated the 22nd November, 2023.